



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240322
CG-DL-E-16112022-240322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5094]
No. 5094]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5318(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उपखंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थ, साल्ट और इससे बनी सामग्री को निर्मित औषधि घोषित करती है, अर्थातः—

- (i) ब्रोफिन - 1-[1-[1-(4-ब्रोमोफिनाइल)एथिल]-पाइपरिडिन-4-वाइएल]-1,3-डायहाइड्रो-2एच-इमिडाजोल-2-ऑन
- (ii) मेटोनिटाज़ेन - एन,एन-डायथाइल-2-(2-(4-मेथोक्सीबेंज़िल)-5-नाइट्रो-1एच-बेंजो[डी]इमिडाज़ोल-1-वाइएल)एथन-1-एमाइन

[फा. सं. एन-12019/3/2021-एनसी-II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares that the following substance, salt and preparations thereof to be manufactured drugs, namely:—

- (i) Brophine - 1-[1-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one
- (ii) Metonitazene - *N,N*-Diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1*H*-benzo[*d*]imidazole-1-yl)ethan-1-amine

[F. No. N-12019/3/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5319(अ).—जबकि केंद्र सरकार, जानकारी और प्रमाणों, जो इसके लिए उपलब्ध हो गया है, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में और निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या सिंथेटिक) या प्राकृतिक सामग्री या किसी भी साल्ट या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश के आधार पर ऐसे पदार्थों या सामग्रियों की तैयारी, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और मनः प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 1971 में शामिल किए गए बदलाव, कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या साल्ट्स को जोड़ना आवश्यक है या ऐसी तैयारी मादक पदार्थों की सूची में पदार्थ या ऐसी सामग्री के आधार पर संतुष्ट है जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) (एतश्मिनपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में यथा संदर्भित) की अनुसूची में निर्दिष्ट है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम सं. 110ZZA, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम.संख्याओं और प्रविष्टियों के अंतः स्थापित किया गया है, अर्थात्:—

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम
"110ZZB		यूटाइलोन	1-(बेंजो[डी][1,3]डाइऑक्सोल-5-वाईएल)-2-(एथिलैमिनो)बुटान-1-ऑन 1-(1,3-बेंजोडायऑक्सोल-5-वाईएल)-2-(एथिलैमिनो) बुटान-1-ऑन"

[फा. सं. एन-12019/3/2021-एनसी- II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

टिप्पणी : नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के तहत पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें बाद में संशोधन का.आ. 49(अ), दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(ई), दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. , 2016, का.आ. क्रमांक 1383 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का.आ. 3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, का.आ. 1352(अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का.आ. 1275(अ), दिनांक 23 मार्च 2021 और का.आ. 4428(अ), दिनांक 22 सितंबर 2022 के अंतर्गत किया गया है।